04/03/25

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। वकील प्रार्थी उप. प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखाया गया नंबर से कम हो।

निर्णय सुनाया गया।

GCMS 2025/54

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.03.18 16:02:52 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलैक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़

पीठासीन अधिकारी सन्दीप कुमार आर.ए.एस

प्रकरण सं0 17/2015 GCMS:-2025/54 दायरा दिनांक 27.01.2025

1. रामप्यारी पत्नी लालचन्द जाति सुथार निवासी वार्ड नं0 4 सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राज.।
2. प्रकाश चन्द्र सुथार पुत्र लालचन्द जाति सुथार निवासी वार्ड नं0 4 सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राज.। — प्रार्थीगण —

बनाम

1. राजस्थान सरकार बजरिये तहसीलदार (राजस्व) बहैसियत प्रतिनिधी भू—धारक।

— अप्रार्थी —

उपस्थित :— 1. श्री श्याम सुन्दर चाण्डक (अभिभाषक प्रार्थीगण)

2. तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ (पेरोकार राज0)

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 136 भू—राजस्व अधिनियम सपठित धारा 151 सीपीसी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ

निर्णय दिनांक 07.03.2025

पत्रावली पेश हुयी प्रार्थीगण के अभिभाषक को सुना गया अभिभाषक द्वारा प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दौराते हुये निवेदन किया कि प्रार्थीगण का सही नाम रामप्यारी पत्नी लालचन्द व प्रकाश चन्द्र सुथार पुत्र लालचन्द है सहवन से राजस्व रिकार्ड तैयार करते समय ग्राम अमरपुरा जाटान तहसील सूरतगढ़ पं0 नं0 50/382, 51/381, 51/382, 51/383, 53/384 में कुल 8.6800 है0 सयुक्त खाते मे दर्ज है जिसमें प्रार्थीगण का नाम सहवन से रामप्यारी पुत्री लालचन्द व प्रकाश पुत्र लालचन्द अंकित हो गया है जिसे दुरूस्त किया जाना न्यायसंगत है। प्रार्थीगण का अपने कथन कि पुष्टी में अन्य दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, पेन कार्ड, राशन कार्ड, भारत निर्वाचन आयोग (पहचान पत्र) में सही नाम रामप्यारी पत्नी लालचन्द व प्रकाश चन्द्र सुथार पुत्र लालचन्द दर्ज है। पुर्व जमाबन्दी भी संलग्न की जिसमें रामप्यारी पत्नी लालचन्द व प्रकाश चन्द्र सुथार पुत्र लालचन्द दर्ज है पेश किये। सही नाम दर्ज करने हेतु निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.03.18 16:02:52 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजो का अवलोकन किया गया तथा तहसील कार्यालय की प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 11.12.2024 से भी प्रार्थीगण का सही

— लगातार 2 पर —

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

नाम रामप्यारी पत्नी लालचन्द व प्रकाश चन्द्र सुथार पुत्र लालचन्द अंकित होने की रिपोर्ट कि गई। इसी प्रकार प्रार्थीगण का सहवन से गलत नाम दर्ज हो गया है को सही करने कि अनुशंसा कि है। उपरोक्त दस्तावेजो व तहसील रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत है।

अतः प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम सपठित धारा 151 सीपीसी उभय पक्ष की स्वीकृती व अनुशंसा तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ के क्रम में उनकी अभिशंषा के आधार पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि रामप्यारी पुत्री लालचन्द व प्रकाश पुत्र लालचन्द के स्थान पर सही नाम रामप्यारी पत्नी लालचन्द व प्रकाश चन्द्र सुथार पुत्र लालचन्द राजस्व रिकार्ड में अंकित किये जाने के आदेश दिये जाते है।

आदेश दिनांक०५.03.2025 को सुनाया गया पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

न्यायालय सहायक कलैक्टर एंव
उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.03.18 16:02:52 IST
Reason: SelfAttested